

भाग-IV

(नोडल अधिकारी या प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

17	टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें (राय देते समय संबंधित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रति कुछ टिप्पणियों की सुस्पष्ट समीक्षा की जाँच और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाय।	17	प्रस्तावित प्रस्ताव रकबा 201.079 हेक्टर वनभूमि में भूमिगत कोयला खनिज उत्खनन कार्य के मेसर्स वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, पाथारखेड़ा क्षेत्र, बैतूल के पुनर्विचार प्रस्ताव पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) भोपाल का अभिमत प्राप्त कर प्रस्ताव में अनुमति देने की अनुशंसा की जाती है।
----	---	----	---

तिथि: 30/01/2018

स्थान: भोपाल

30/1/18

(सुनील अग्रवाल)

भा.व.सं.

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)

मध्यप्रदेश, भोपाल